बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना –4

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या–खा0 / पुर्न0 / 233 / 2016–17

उद्योग विभाग संकल्प ज्ञा0 सं0–566 पटना, दिनांक–17.02.2017 द्वारा खादी पुर्नरूद्धार योजनान्तर्गत बिहार में स्थित खादी संस्था / समितियों जो तसर (रेशमी) सूत कताई का कार्य करती है, उनके बीच 600 (छः सौ) नग कटिया चरखा वितरित किया गया है।

02. उक्त संकल्प के अनुसार 600 नग कटिया चरखा वितरण किये जाने के उपरान्त पुनः 600 कटिया चरखा बिहार स्थित खादी संस्था / समिति के मॉग पर वितरण किये जाने के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना से अनुमोदन प्राप्त है।

03. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग विभाग संकल्प ज्ञापांक सं0–566 पटना, दिनांक–17.12.2017 के कंडिका–05 में उल्लेखित शर्त्तो के अनुसार निम्नलिखित 01 (एक) संस्था को 50 नग कटिया चरखा क्रय किये जाने हेतु कटिया चरखा की कीमत (प्रति चरखा 4275 / –) का 50% रू0–1,06,875 / – (एक लाख छः हजार आठ सौ पचहत्तर रूपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था / समिति का नाम	आवंटित चरखा की संख्या	प्रति चरखा कीमत	चरखा की कुल कीमत	स्वीकृत राशि (चरखा की कुल कीमत का 50%)
1	गणेश पीस फाउन्डेशन, खैरा, डोरिया, भाया–खड़गपुर, जिला–मुंगेर	50	4275.00	213750.00	106875.00

04. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरूद्धार योजना में प्राप्त ब्याज की राशि से की जायेगी।

05. संस्था / समिति के अध्यक्ष / मंत्री को निदेश है कि संकल्प ज्ञा0 सं0–566 पटना, दिनांक–17.02.2017 के कंडिका 03 में दिये गये शर्त्त के अनुसार ही कटिया चरखा क्रय करेगें।

(i) संस्था को कटिया चरखा के लिये 90% अनुदान की राशि दी जायेगी तथा चरखा के कीमत का 10% राशि मार्जिन के रूप में खादी संस्था / समितियों को स्वयं वहन् करना होगा।

(ii) कटिया चरखा का गुणवत्ता (Specification) निम्न प्रकार होगी–

- (क) कटिया चरखा लोहे एवं आयरन का बना हो।
- (ख) यह पैरों से चलने वाला (पैडल ऑपरेटेड) हो।
- (ग) चरखा का कार्य क्षमता 8 घंटे में कम से कम 200 से 250 ग्राम रेशमी सूत का कताई करता हो।
- (घ) कटिया चरखा से कम से कम रू0 175–200 प्रतिदिन मजदूरी के रूप में कतिनों को प्राप्त होता हो।
- (ड़) चरखा का वजन कम से कम 24 किलोग्राम का हो।

(iii) खादी संस्थाओं द्वारा अपने स्तर से कटिया चरखा के गुणवत्ता एवं उपयोग से स्वयं संतुष्ट होकर ही चरखा का क्रय किया जायेगा।

(iv) खादी संस्था / समिति को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आवंटित चरखा के कीमत का 50% राशि उपलब्ध कराया जायेगा। कटिया चरखा के संचालन के बाद इसकी गुणवत्ता (Specification) की जॉच खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,

पटना द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा जॉच के बाद ही शेष 50% राशि का भुगतान किया जायेगा।

(v) खादी संस्थाओं को राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा किया जायेगा।

(vi) कटिया चरखा के क्रय स्थापना एवं संचालन से संबंधी सूचना खादी संस्थाओं द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

ह०

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खा०/128 पटना, दिनांक– 16/08/2018

प्रतिलिपि :–उपर्युक्त संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खा०/128 पटना, दिनांक– 16/08/2018

प्रतिलिपि :–राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना/Grant Thornton India LLP, Alpna Market, Patliputra, Patna को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खा०/128 पटना, दिनांक– 16/08/2018

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना)/प्रभारी सहायक (खादी पुर्नरूद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुर्नरूद्धार योजना) को निदेश है कि कटिया चरखा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम भुगतान करना सुनिश्चित करेगें।

ह०

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खा०/128 पटना, दिनांक– 16/08/2018

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर/जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक– खा०/128 पटना, दिनांक– 16/08/2018

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

14/8/18

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी